## न्यायालयः — अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—315 / 2012 संस्थित दिनांक—13.04.2012 फाई. क.234503002302012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)

// विक्तद्ध //

भागचंद पिता शोभन शेंडे, उम्र–30 साल, निवासी करमसरा थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट।

--- - - - <u>आरोपी</u>

## / / <u>निर्णय</u> / /

# <u>(आज दिनांक 13/03/2018 को घोषित)</u>

- 01. आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—दो के अंतर्गत अपराध किये जाने का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 02. 04.12 को 09:00 बजे ग्राम करमसरा फरियादी का खेत थानांतर्गत मलाजखण्ड में फरियादी कमलेश बिसेन को लोक स्थान पर अथवा उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित कर फरियादी को लकड़ी से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित किया एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी कमलेश ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 02.04.12 को सुबह अपने खेत में चना की रखवाली कर रहा था, तभी करीब 09:00 बजे गांव का भागचंद आकर बोला कि उसकी गाय एवं बिछया देखों हो क्या, तब उसने बोला कि कांजीहाउस में डाल दिया है, तब भागचंद ने उसे साले मादरचोद की गंदी—गंदी गाली देकर पास रखी लकड़ी से उसके पीठ, दोनों कंधे एवं दोनों पैर की पिंडलियों में मारा। उसके चिल्लाने पर खेत पड़ौसी ईतवारी आने लगा तो



भागचंद जाते—जाते बोला कि साले मादरचोद आज तो बच गया आईन्दा ऐसा किया तो जान से मार डालेगा। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी भागचंद के विरूद्ध अभियोग पत्र कमांक 42/12 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की।

## 04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1—क्या आरोपी ने दिनांक 02.04.12 को 09:00 बजे ग्राम करमसरा फरियादी का खेत थानांतर्गत मलाजखण्ड में फरियादी कमलेश बिसेन को लोक स्थान पर अथवा उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?

2-क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को लकड़ी से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

3—क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

#### विवेचना एवं निष्कर्ष:-

#### विचारणीय प्रश्न कमांक 01 से 03:-

नोट – सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी कमलेश बिसेन अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी को घटना के समय से नाम से ही जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो—तीन वर्ष पूर्व सुबह लगभग 09:00 बजे की है। घटना दिनांक को



उसने आरोपी के द्वारा उसके खेत की नुकसानी करने से गाय को उसने कांजी हाउस बंजारीटोला में पहुँचा दिया था। फिर आरोपी ने अपनी गाय को कांजी हाउस से छुड़ाकर घर लाया और घर से लकड़ी लेकर जहाँ वह अपनी खेत की बंदी में बैठा था, वहाँ आया और उसे लकड़ी से आरोपी ने मारपीट की। आरोपी के मारने से उसे घुटने, कंधे और कमर में चोट आई थी। आरोपी उसे कह रहा था कि आज के बाद यदि गाय को अंदर करवाया तो उसे मार डालेगा। घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी, जो प्रपी—01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका ईलाज शासकीय अस्पताल मोहगांव में करवाया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी—नक्शा प्रपी—02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी कमलेश बिसेन अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी उसके गांव का है, इसलिए वह उसे जानता है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी अपने गांव में न रहकर अधिक समय ससुराल में ही रहता है, घटना के एक दिन पूर्व उसके द्वारा आरोपी की गाय और उसके बछड़े को अपने घर पर बांध लिया गया था, आरोपी अपनी गाय—बछड़ा का गायकी से पता लगाकर उसके घर पर आया था, घटना के एक दिन पूर्व जब आरोपी उसके घर पर गाय—बछड़ा मांगने आया था तो उसने उसे मारने की धमकी दी थी, उसके शरीर में आई चोटें उसे चना पार से गिरने से आई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के बाद से आरोपी ने उसके साथ आज तक कोई वाद—विवाद नहीं किया, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी—नक्शा प्रपी—2 बनाया था, उसकी आरोपी के परिवार से दुश्मनी होने के कारण आरोपी को फंसाने के लिये आज झूठा कथन कर रहा है तथा पुलिस ने पूछताछ कर उससे कोई कथन नहीं लिये थे।



- साक्षी वायन्ता बिसेन अ.सा.०२ ने कथन किया है कि आहत 07-कमलेश बिसेन उसका लड़का है। वह आरोपी को भी जानती है जो उसके गांव का है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व दिन के लगभग 12:00 बजे उसके खेत की है। घटना दिनांक को वह और उसका लड़का कमलेश अपने खेत गये थे तो उनके खेत में जहाँ चना लगा था, आरोपी भागचंद की गाय चर रही थी तो उसके लड़के कमलेश ने गाय को कांजी हाउस बंजारीटोला लेकर गया था और बंजारीटोला के कांजी हाउस में छोड़कर वापस घर ईतवारी के साथ आ रहा था। कमलेश ईतावारी को खाने के लिये चना खेत से निकाल कर देने के लिये खेत गया था, तभी आरोपी भागचंद, कमलेश के पास खेत में आया और कमलेश को मारपीट करते हुये खेत के पास नहर तरफ लेकर गया तो वह देखकर दौड़कर उनके पास गई तो कमलेश को छोड़कर आरोपी अपने घर चला गया और कमलेश नहर के पास बेहोश था। कमलेश को कमर में चोट थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। खेत लगभग सुबह के 09:00 बजे गये थे और मारपीट लगभग 12:00 बजे हुई थी।
- 08— साक्षी वायन्ता बिसेन अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना का दिन और वर्ष नहीं बता सकती, उसने अपने पुलिस कथन प्रडी—01 देते समय पुलिस को यह बता दिया था कि वह और उसका लड़का दोनों खेत गये थे, यदि उक्त बात न लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकती, जो गाय उनके खेत में आई थी वह आरोपी भागचंद की थी या नहीं वह नहीं बता सकती, उक्त गाय कमलेश ने कांजी हाउस में छोड़कर आ गया था।
- 09— साक्षी वायंता बिसेन अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी कांजी



हाउस से गाय को छुड़ाकर अपने घर ले गया था और वापस उनके खेत आया था, कमलेश को अपने दोस्त ईतवारी को चना देने के लिये उखाड़ते हुये खेत की पार से गिरने के कारण चोट आई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल से दूर थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी को उसने उसके लड़के कमलेश को मारपीट करते नहीं देखा था, आहत कमलेश उसका लड़का है, इसीलिये वह उसके पक्ष में झूठी गवाही दे रही है, उसने अपने पुलिस कथन प्रडी—1 देते समय नहर के तरफ आरोपी के द्वारा कमलेश को मारते—पीटते ले जाने वाली बात नहीं बतायी थी, यदि उक्त बात न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती, पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे, आरोपी से उसकी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए उसके विरूद्ध वह झूठी गवाही दे रही है।

10— साक्षी गुहालाल अ.सा.03 का कथन है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है। वह प्रार्थी कमलेश को भी जानता है। उनका खेत दस जरीब की दूरी पर है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन—चार वर्ष पूर्व की है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि चौथे माह में खेतों में चना लगा रहता है, उस समय उसके खेत में भी चना लगा हुआ था, इसलिये वह रखवाली करने के लिये खेत पर ही रहता था, कमलेश के खेत में भी चना लगा हुआ था और वह भी रखवाली करता था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के दूसरे दिन सुबह उसे कमलेश की रोने चिल्लाने की आवाज आई थी, आरोपी भागचंद कमलेश को मादरचोद की गंदी—गंदी गाली देकर लकड़ी से मारपीट कर रहा था, उसके जाने पर आरोपी प्रार्थी को धक्का मारकर घटनास्थल से जाने लगा था, आरोपी जाते—जाते गाली—गलीच कर जान से खत्म करने की धमकी प्रार्थी को दे रहा था।



- 11— साक्षी गुहालाल अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे जानकारी लगी थी कि आरोपी के जानवर को कांजी हाउस में कमलेश ने पहुँचा दिया है, यदि किसी के जानवर किसी के खेत की नुकसानी करते है तो नुकसानीकर्ता उक्त जानवरों को कांजी हाउस भेज देता है, उसे यह पता लगा था कि आरोपी के जानवर ने कमलेश के खेत में लगे चने को नुकसान पहुँचाया, इसी कारण कमलेश ने आरोपी के जानवर को कांजी हाउस भेज दिया, आरोपी ने उक्त बात को लेकर ही प्रार्थी के साथ गाली—गलौच कर मारपीट की होगी। साक्षी के अनुसार उसने मारपीट करते हुये नहीं देखा। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी के द्वारा कमलेश को गाली—गलौच देने और मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की बात उसने अपने पुलिस कथन प्रपी—03 में बतायी थी, वह आरोपी से मिल गया है, इसलिये उसे बचाने के लिये झूठे कथन कर रहा है, उसने घटना होते हुये देखी थी, किन्तु आरोपी से मिलने के कारण घटना की जानकारी होने की बात बता रहा है।
- 12— साक्षी गुहालाल अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वह अपनी लड़की के गांव पीपरटोला गया था, उसने गांव चले जाने के कारण कमलेश के खेत में चने की नुकसानी हुई या नहीं तथा कमलेश द्वारा भागचंद के जानवर कांजी हाउस ले गये या नहीं इसकी उसे जानकारी नहीं है, उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिये थे, जब वह गांव से लौटा तो गांव के लोगों के बताने पर सुनी हुई बात बता रहा है।
- 13— साक्षी दीनानाथ अ.सा.07 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष कोई जप्ती नहीं की थी और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी



ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी भागचंद से लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी, पुलिस ने उससे थाने में कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे, उसे घटना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है।

- 14— साक्षी कुन्दन अ.सा.08 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही उसे गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से एक लकड़ी ढाई फिट लंबी तथा बीच से फटी हुई जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.05 पर उसका अंगुटा निशानी है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था, परन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 पर उसका अंगुटा निशानी है, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।
- 15— साक्षी कुन्दन अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह पढ़ा—लिखा नहीं है, पुलिस ने मलाजखंड में उससे किन कागजों पर अंगुटा लगवाये थे उसे नहीं मालूम, उसने पुलिस के कहने पर दस्तावेजों पर अंगुटा लगा दिया था, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की थी।



- 16— साक्षी डॉ०एल.एन.एस. उइके अ.सा.०६ का कथन है कि वह दिनांक 02.04.12 को बी.एम.ओ. के पद पर मोहगांव में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड के आरक्षक समल नंबर 192 द्वारा आहत कमलेश को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर उसने चोट कमांक 01 कंट्यूजन जो अनियमित आकार लिये शरीर के धड़ के पिछले भाग पर स्थित था, चोट कमांक 02 कंट्यूजन जो अनियमित आकार का था, जो दांये पैर के निचले भाग पर स्थित था एवं चोट कमांक 03 कंट्यूजन जो अनियमित आकार लिये दोनों कूल्हों में होना पाया था। उसके मतानुसार सभी चोटें बोथरी व कड़ी वस्तु से पहुँचाना प्रतीत होती है। तीनों का स्वरूप साधारण था। उसके मुलाहिजा करने के 03 से 06 घंटे के अंदर घटित हुई चोटें है। उसके मुलाहिजा परीक्षण के तीन से सात दिवस के अंदर भर जायेंगे यदि किसी प्रकार की जटिलता ना हो तो। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी—04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि चोट कमांक 01, 02 एवं 03 खुरदुरी सतह पर गिरने से आ सकती है।
- 17— बचाव साक्षी गजलाल अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी तथा प्रार्थी कमलेश को जानता है। घटना वर्ष 2012 की सुबह के समय ग्राम करमसरा की है। घटना के समय प्रार्थी कमलेश द्वारा आरोपी की गाय को कांजी हाउस पहुँचा दिया गया था, जिसके बाद आरोपी अपनी गाय को वहाँ से छुड़ाकर वापस लाया और उसके बाद उक्त बात को लेकर आरोपी और प्रार्थी का विवाद हुआ। आरोपी एवं प्रार्थी के मध्य केवल वाद—विवाद हुआ था। आरोपी ने प्रार्थी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही उसे कोई धमकी दी थी।
- 18— बचाव साक्षी गजलाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपी उसका रिश्तेदार है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपी उसे मौसा कहकर बुलाता है। साक्षी के



अनुसार प्रार्थी कमलेश भी उसे बड़े पिता कहकर बुलाता है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह आरोपी का रिश्तेदार है, इसलिये उसके पक्ष में कथन कर रहा है, घटना के समय आरोपी ने कमलेश के साथ गाली—गलौच और मारपीट की थी तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे गवाही के लिये कोई नोटिस नहीं मिला है, वह आरोपी के साथ आया है।

- 19— बचाव साक्षी गजलाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपी द्वारा कमलेश से मारपीट करने के कारण कमलेश को चोटें भी आई थी, उसकी प्रार्थी कमलेश से बातचीत बंद है। साक्षी के अनुसार उसका पड़ौसी है और उसकी बोलचाल है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसे आरोपी भागचंद ने यह समझाया था कि कोर्ट में जाकर वाद—विवाद वाली बात ही बताना है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अने के बाद वह आरोपी के वकील साहब से मिला था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उनके द्वारा समझाने पर वह झूठे कथन कर रहा है।
- 20— विवेचक साक्षी मनोज मांगरे अ.सा.09 का कथन है कि वह दिनांक 02.04.2012 को थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध कमांक 46/12 अंतर्गत धारा—294, 323, 506 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल ग्राम करमसरा जाकर प्रार्थी कमलेश की निशादेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी कमलेश तथा गवाह बायंताबाई, गुहालाल, इतवारी, मिश्रीलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी द्वारा थाना लाकर पेश करने पर एक बांस की लकड़ी करीब ढाई फीट लंबी गवाह दीनानाथ तथा कुंदनसिंह के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर



है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी भागंचद को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा गिरफ्तारी पत्रक पर आरोपी भागंचद के अंगुठा निशानी है। संपूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

- 21— विवेचक साक्षी मनोज मांगरे अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मौका—नक्शा प्र.पी.02 उसने गवाहों के समक्ष तैयार नहीं किया है, मौका—नक्शा प्र.पी.02 उसके द्वारा थाने में बैठकर तैयार किया गया है एवं उस पर फरियादी के झूठे हस्ताक्षर किये गये है, फरियादी कमलेश एवं गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर आरोपी को झूठा फंसाने के लिये अपने मन से लेख किये गये थे, उसके द्वारा आरोपी से किसी प्रकार की जप्ती नहीं की गई और जप्ती पत्रक प्र.पी.05 थाने में बैठकर अपने मन से तैयार किया गया और उस पर आरोपी के फर्जी अंगुठा निशान लिये गये, उसके द्वारा प्र.पी.06 झूठा बनाया गया है, उस पर गिरफ्तारी के पूर्व ही गवाहों के हस्ताक्षर उसके द्वारा करा लिये गये थे, आरोपी के विरुद्ध वह झूठे कथन कर रहा है एवं प्रकरण की संपूर्ण विवेचना फरियादी कमलेश के साथ मिलकर झूठी तैयार किया है।
- 22— यद्यपि बचाव साक्षी गजलाल ब.सा.01 ने आरोपी भागचंद एवं प्रार्थी के मध्य केवल वाद—विवाद के कथन किये हैं, तथापि साक्षी के कथन उक्त संबंध में इसलिये विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते, क्योंकि चिकित्सा साक्ष्य से परिवादी को घटना के समय चोटें आना दर्शित है तथा आरोपी एवं परिवादी के मध्य कोई पूर्व वैमनस्य भी दर्शित नहीं है। तथापि उक्त साक्षी के कथन से घटना के समय आरोपी एवं परिवादी के मध्य विवाद होने की पुष्टि होती है।



- 23— घटना के तत्काल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। परिवादी कमलेश अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से होती है। परिवादी के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई गंभीर विरोधाभास एवं लोप नहीं है। परिवादी कमलेश अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि साक्षी वायन्ता बिसेन अ.सा.02 के कथनों से भी होती है। परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य कोई गंभीर पूर्व वैमनस्यता स्थापित नहीं हुई है, जिसे लेकर यह माना जा सके कि उसने अभियुक्त को घटना में असत्य रूप से लिप्त किया हो।
- 24— परिवादी कमलेश बिसेन अ.सा.01 की साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट से उसकी पुष्टि, डॉ० एल०एन०एस० उइके अ.सा.०६ की चिकित्सा साक्ष्य से परिवादी की चोटों की पुष्टि एवं साक्षी वायन्ता बिसेन अ.सा.०२ की साक्ष्य से परिवादी के कथनों की पुष्टि से यह युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने लकड़ी से परिवादी कमलेश बिसेन को स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 25— भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 एवं 506 के संबंध में किसी भी साक्षी द्वारा कथन नहीं किये गये है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त भागचंद द्वारा परिवादी को लोक स्थान के समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। अतः अभियुक्त भागचंद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 भाग—दो के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 26— अभियुक्त द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उसे परिवीक्षा



अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

> (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

#### प्नःश्च-

- 27— दंड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त एवं परिवादी एक ही ग्राम के है। ऐसी स्थिति में उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।
- 28— बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है। प्रकरण पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित रहा है, जिसमें अभियुक्त उपस्थित होता रहा है। ऐसी स्थिति में कारावास का दंड दिये जाने से उभयपक्ष के मध्य वैमनस्यता तथा विवाद बढ़ने की संभावना है। फलतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को देखते हुए उसे सामान्य दण्ड दिये जाने से न्याय की पूर्ति संभव है। अतः अभियुक्त भागचंद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 के अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिये एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 29— अर्थदंड की संपूर्ण राशि धारा—357(1)(बी) द.प्र.सं. के तहत परिवादी कमलेश बिसेन को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, अपील न होने की दशा में, अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 30- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील



अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

- 31— प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- **32** अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत् नि:शुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / 🗕

(अमनदीपिसंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

